सं०सं०– 6 / अ4-42/ 2002.......432

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक

निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)
झारखण्ड,राँची ।

सेवा में ,

सचिव,
सी0 बी एस0 ई0,नई दिल्ली ।

राँची, दिनांक 9 मार्च,2005

विषय:- झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0,नई दिल्ली से संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग ,झारखण्ड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित **गौतम बुद्ध इन्टरनेशनल स्कूल,टाटीसिलवे,राँची** को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्त्तों एवं बन्धेजों के अधीन अस्थायी रुप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

1. झारखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित जो भी नियम/परिनियम विद्यालय के लिये बनाये जायेंगे,उनका अक्षरशः पालन विद्यालय द्वारा किया जायेगा एवं मानक सेवा शर्त्त नियमावली को अंगीकृत करेगा एवं गुणवत्ता युक्त पठन–पाठन का कार्य सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

उपर्युक्त शर्तो एवं बन्धेजों के अतिरिक्त विभागीय आदेश संख्या–1055 दिनांक– 5.9.2001 के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों एवं बन्धेजों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा :–

1– विद्यालय की वार्षिक बचत आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा । विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।

2– विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

3– विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 (दो) एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4(चार) एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30 (तीस) वर्षों के निबंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिये। यदि भविष्य में जाँचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित होगा ।

4– विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रुप से होनी चाहिये ।

5– नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा ।

6– गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिये सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा ।

7– विद्यालय का कार्यकलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिये । विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार,,नैतिक तथा राज्य के सास्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धक,शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रयास करना होगा ।

PRINCIPAL
Gautam Buddha
International School
Tatisilwai, Ranchi

Secretary
Gautam Buddha International School
Tatisilwai, Ranchi

8– विद्यालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये।

9– विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया , कर्मियों की संख्या , योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय–समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।

10– विद्यालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।

11– राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्सन प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0 एस0 एस0 ,स्काउट एवं गाईड आदि को सुचारु रुप से करना होगा ।

12– यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या–1056 दिनांक– 5.9.2001 के अनुसार शर्त्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।

13– उपर्युक्त शर्त्तों एवं बन्धेजों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।

14– अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों का जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र को वापस ले सकती है।

15– विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्त्तों एवं बन्धेजों को अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय–समय पर मानव संसाधन विकास विभाग,झारखण्ड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्त्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16– एतद् विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय,राँची के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत होगा ।

17– समय–समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विद्यालय सम्बद्धन संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्त्तो का उलंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस लेने के साथ–साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन

ह0/– अस्पष्ट

निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)
झारखण्ड ,राँची ।

ज्ञापांक 432 राँची ,दिनांक– 9.3.2005

प्रतिलिपि संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/ संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)
झारखण्ड ,राँची ।

PRINCIPAL
Gautam Buddha
International School
Tatisilwai, Ranchi

Secretary
Gautam Buddha International School
Tatisilwai, Ranchi